

अध्याय IV: आय कर और धन कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

क - आयकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 अध्याय IV में मई और अक्टूबर 2012 के बीच मंत्रालय को जारी ₹ 593.30 करोड़ (₹ 589.31 करोड़ के कमप्रभार वाले 108 मामले और ₹ 3.99 करोड़ के अधिप्रभार³² वाले सात मामले) के कर प्रभाव वाले आय कर से संबंधित 115 उच्च मूल्य वाले मामलों की चर्चा की गई है। तालिका 4.1 गलतियों और कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का व्यौरा दर्शाती है:

तालिका सं. 4.1: गलतियों और कर प्रभाव की श्रेणी

श्रेणी	मामले	₹. करोड़
क. निर्धारणों की गुणवत्ता;	40	516.47
ख. कर रियायत/छूट/कटौती का प्रबंधन;	41	53.90
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से बचा हुआ कर; और	27	18.94
घ. अन्य-कर/ब्याज का अधि-प्रभार	7	3.99
	जोड़	115
		593.30

4.1.2 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अंतर्गत, हम एक ही प्रकार की चूकों को चिह्नित करने के उद्देश्य से उन्हें उप-श्रेणी में दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी महत्वपूर्ण मामले (मामलों) के स्पष्टीकरण का अनुसरण करके, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए एक प्रस्तावना के साथ आरंभ होती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी एओज़ ने निर्धारणों में चूकें की। गलत निर्धारणों के इन मामलों में आईटीडी की तरफ से आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरी को दर्शाया गया जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तालिका 4.2 गलतियों की उप श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

³² अधिप्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज आदि की दरों को गलत लागू करने से संबंधित है।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

तालिका 4.2: निर्धारण की गुणवत्ता में गलतियों का व्यौरा

उप-श्रेणियाँ	मामले	टीई	राज्य	₹. करोड़
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ	11	503.13	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र	
ख. कर, अधिप्रभार आदि की गलत दरों को लागू करना	10	4.89	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश	
ग. ब्याज की उगाही में गलती	18	7.83	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ (यूटी), दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश	
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदायों/प्रतिदायों पर ब्याज	1	0.62	महाराष्ट्र	
जोड़	40	516.47		

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ

हमने ऐसे तीन निर्दर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओज़ को सही प्रकार से आय का अवधारण और निर्धारण करना है। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ लेखे, अभिलेखों और रिटर्न से संबंध सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जांच करनी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए हैं।

4.2.2.1 आंध्र प्रदेश सीआईटी-I विशाखापट्टनम प्रभार में, एओ ने निर्धारण वर्ष 09 के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का निर्धारण पूरा किया और ₹ 1116.81 करोड़ की वास्तविक राशि के प्रति ₹ 98.33 करोड़ पर कुल आय का अवधारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 455.39 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 1018.48 करोड़ की आय की कम संगणना हुई। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (जनवरी 2012)।

4.2.2.2 दिल्ली डीआईटी-I प्रभार, में, एओ ने निर्धारण वर्ष 06 और 07 के लिए धारा 144 सी (1) के अंतर्गत सितम्बर 2010 में क्रमशः ₹ 17.50 करोड़ और ₹ 13.29 करोड़ की आय पर ईएसएस डिस्ट्रीब्यूशन (मॉरीशस) एसएनसी एट कैपेन का निर्धारण पूरा किया। दोनों निर्धारण वर्षों में, एओ ने गलती से निर्धारित कर को निर्धारित आय के रूप में लिया और उसी प्रकार कर की गणना की। इस गलती के

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 38.03 करोड़³³ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने निर्धारण वर्ष 06 के लिए मार्च 2012 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

4.2.2.3 महाराष्ट्र सीआईटी-X मुंबई प्रभार में, ₹ 8.8 करोड़ की आय पर दिसंबर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 हेतु श्री प्रभाकर टी. भंडारी का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने ₹ 3.51 करोड़ के बजाए ₹ 1.21 करोड़ के कर का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.2.3 कर और अधिप्रभार की गलत दरों को लागू करना

उदाहरणस्वरूप नीचे हम एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

अधिप्रभार सहित आयकर सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 हिमाचल प्रदेश सीआईटी शिमला प्रभार में, दिसंबर 2009 में ₹ 34.03 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 हेतु तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज के निर्धारण को पूरा करते समय, एओ ने अधिप्रभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के फलस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की कम मांग हुई।

4.2.4 ब्याज की उगाही में गलतियां

उदाहरणस्वरूप नीचे हम एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

धारा 234बी में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

4.2.4.1 दिल्ली डीआईटी-I प्रभार में, सितम्बर 2010 में ₹ 34.18 करोड़ की आय पर धारा 144सी(1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 06 हेतु ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स मॉरीशस एसएनसी एट कैपेन का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 6.74 करोड़ के बजाए ₹ 2.87 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने मार्च 2012 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

³³ निर्धारण वर्ष 06 और निर्धारण वर्ष 07 के लिए क्रमशः ₹ 20.63 करोड़ और ₹ 17.40 करोड़

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय IV-ए के अंतर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की कतिपय श्रेणियों के लिए कुल आय की संगणना में निर्धारितियों को रियायतों/छूटों/कटौतियां अनुमत करता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने नियमित रूप से लाभार्थी को कर रियायतों/छूटों/कटौतियां प्रदान की जिसके लिए वे हकदार नहीं हैं। ये मामले आईटीडी की तरफ से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन में कमज़ोरी को दर्शाते हैं, जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन पर प्रभाव डालने वाली उप-श्रेणियों को दर्शाती हैं।

तालिका 4.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

			₹ करोड़	
	उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क.	व्यष्टियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/ राहत	4	1.34	गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख.	न्यासों/फर्मों/समुदायों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/ राहत	23	18.78	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग.	मूल्यहास/कारबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	14	33.78	बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
जोड़		41	53.90	

4.3.2 न्यासों/फर्मों/समुदायों को छूटों और कटौतियों की अनियमित अनुमति

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसे ही दो मामले दर्शा रहे हैं:

एक उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में बनाये गये प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है, जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।

4.3.2.1 आंध्र प्रदेश सीआईटी-IV हैदराबाद प्रभार में, एओ ने नवम्बर 2007 में धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 22.69 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद ₹ 4.27 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद एवाई 06 के लिए डिस्ट्रिक्ट को-आपेरिटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। एओ ने अग्रानीत हानियों के संमजन करने से पहले ही गलती से कटौती अनुमत की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.12 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 22.69 करोड़ की हानियों का अधिक अग्रेनयन किया गया।

मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाई की (नवंबर 2010)।

4.3.2.2 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने दिसंबर 2008 में ₹ 12.14 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 हेतु डिस्ट्रिक्ट को ओपरेटिव एग्रीकल्वर एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। एओ ने गलती से काल बाधित और दाइडिक ब्याज के लिए ₹ 10.56 करोड़ के प्रावधान की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.23 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 10.56 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2011)।

4.3.3 मूल्यहास/कारबार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसे दो मामले दर्शा रहे हैं:

धारा 72 में आगामी आठ निर्धारण वर्षों के लाभों और अभिलाभों के प्रति एक निर्धारण वर्ष की निवल हानि के अग्रेनयन और समंजन करने का प्रावधान है।

4.3.3.1 गुजरात सीआईटी-I बड़ौदा प्रभार में, एओ ने नवंबर 2008 में ₹ 13.89 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 07 के लिए पैट्रोफिल्स को-ओपरेटिव लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय, अधिनियम के उल्लंघन में निर्धारण वर्ष 96 से निर्धारण वर्ष 99 तक संबंधित ₹ 81.33 करोड़ की कारबार हानि का अग्रेनयन करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.89 करोड़ के संभाव्य कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने नवम्बर 2011 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।

4.3.3.2 महाराष्ट्र सीआईसी-I कोल्हापुर प्रभार में, एओ ने सितम्बर 2009 में ₹ 3.17 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 08 के लिए एओपी सोनहीरा सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड, का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 21.98 करोड़ के प्रति ₹ 33.71 करोड़ की कारबार हानि/अनवशोषित मूल्यहास के अग्रेनयन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ का संभावित कर प्रभाव हुआ।

4.4 चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में; चाहे किसी भी स्त्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त हुई या उपर्जित या प्राप्त हुई या उपर्जित के लिए मानित; सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिसे कर को प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूके हुई थीं जिनके कारण कर नहीं लगा। तालिका 4.4 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारणों से बच गई।

तालिका 4.4: चूकों के कारण निर्धारणों से बची हुई आय के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य	₹. करोड़
क. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	3	0.89	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश	
गलत वर्गीकरण और	5	3.79	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	
ख. पूंजीगत लाभ की संगणना				
ग. निर्धारण न की गई/कम निर्धारण की गई आय	8	1.23	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
घ. टीडीएस के प्रावधान लागू करने में चूके	11	13.03	दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल	
जोड़	27	18.94		

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण

उदाहरणस्वरूप नीचे हम ऐसे तीन मामले दर्शा रहे हैं:

धारा 4 में प्रावधान है कि सभी आय आयकर के प्रभार और कुल आय की संगणना के उद्देश्य हेतु होंगी, जिसे उनमें विशिष्ट आय के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

4.4.2.1 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नै प्रभार में, एओ ने ₹ 30.75 लाख की आय पर, एक संक्षिप्त रूप में निर्धारण वर्ष 07 के लिए एक एचयूएफ के श्रीनिवासन, का निर्धारण प्रक्रियागत करते हुए निर्धारिती की आय को 'कारबार और वृत्ति से आय' के प्रति 'अल्प/लंबी अवधि वाले पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अंतर्गत निरूपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 89.05 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया।

4.4.2.2 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नै प्रभार में, नवम्बर 2007 में ₹ 52.03 लाख पर एक संक्षिप्त रूप में, निर्धारण वर्ष 07 के लिए श्रीमती विजया श्रीनिवासन का निर्धारण प्रक्रियागत करते समय निर्धारिती की आय को 'कारबार और वृत्ति से आय' के प्रति 'अत्य/लंबी अवधि वाले पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अंतर्गत निरूपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.07 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया गया।

अधिनियम की धारा 2(14)(iii) के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से उद्भूत हुए कोई लाभ या अभिलाभ पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय कर को प्रभार्य होंगे।

4.4.2.3 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नई प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2009 में ₹ 8.28 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए, एम तिरुनावुक्कारसू का निर्धारण पूरा करते समय, आवासीय भूमि (पूंजीगत परिसम्पत्ति) को कृषियोग्य भूमि के रूप में निरूपित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 71.82 लाख के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 252.34 लाख के लम्बी अवधि वाले पूंजीगत अभिलाभ की छूट की गलत अनुमति हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया।

4.4.3 टीडीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूकें

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसा एक मामला दे रहे हैं :

धारा 40(ए) (आईए) में प्रावधान है कि जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई है वहाँ उन भुगतानों के प्रति व्यय की कटौती अनुमति नहीं होगी।

4.4.3.1 गुजरात सीआईटी-I राजकोट प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2008 में ₹ 0.39 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए धोलू केसीएलजेपीएफ ज्वाईट वैंचर कम्पनी का निर्धारण पूरा करते हुए, उप-ठेकेदार/कार्य संविदा जिसपर निर्धारिती ने टीडीएस की कम कटौती की थी/कम जमा किया था, को किये गये भुगतान के कारण व्यय की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.87 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 17.61 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 147 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011)।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

4.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ₹ 3.99 करोड़ के कर/ब्याज के अधिप्रभार सहित सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण देखा। उदाहरणस्वरूप हम ऐसा एक मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

4.5.1.1 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में, एओ ने संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण ₹ 56.81 लाख की अपेक्षा ₹ 81.69 लाख की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 08 हेतु दिलीप कुमार खंडेलवाल का निर्धारण पूरा किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 24.88 लाख की आय का अधिक निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹ 19.40 लाख के कर और ब्याज का अधिप्रभार हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (मई 2011)।

ख-धनकर

4.6 इस भाग में धनकर के 15 मामलों की चर्चा की गई है जिनमें अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 के दौरान मंत्रालय को सूचित किये गए ₹ 35.19 लाख के कर प्रभाव शामिल हैं।

4.6.1 धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण

हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटीज़ के अनुदेशों³⁴ का पालन नहीं किया। हम उदाहरणस्वरूप नीचे एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

4.6.1.1 छत्तीसगढ़ सीआईटी रायपुर प्रभार में, रानी साराओगी जिसके पास ₹ 4.69 करोड़ का रोकड़ शेष और भूमि थी निर्धारण वर्ष 10 के लिए धनकर की विवरणी दाखिल नहीं की। आईटीडी ने उसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.53 लाख के धनकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

२०२५ १०८५८५८१८

नई दिल्ली

दिनांक: 5 अगस्त 2013

(स्वरूप नन्दक्योल्यार)

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर एवं सीआरए समन्वय)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली

दिनांक: 5 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

³⁴ सीबीडीटी के अनुदेश नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में एओज़ को जारी किये गये।